

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

का०आ० संख्या-01/स्था०क्षे०-502/2025-1896 पटना, दिनांक 29 सितम्बर, 2026
कार्यालय आदेश

श्री दीपक कुमार पाण्डेय, उच्चवर्गीय लिपिक कार्यालय-सहायक निदेशक, ईख विकास, भोजपुर(आरा) सम्प्रति प्रतिनियुक्त गन्ना उद्योग विभाग को Gall Bladder में पथरी का ऑपरेशन कराने हेतु दिनांक-06.09.2026 तक संचित अर्जित अवकाश 300 (तीन सौ) दिनों में से दिनांक-07.09.2026 से 24.09.2026 तक कुल 18 (अठारह) दिनों का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर बिहार सेवा संहिता के नियम 227,230, एवं 248 के आलोक में घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. प्रस्ताव में ईखायुक्त, बिहार का अनुमोदन प्राप्त हैं।

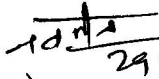

(नवनीत कुमार दूबे)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-01/स्था०क्षे०-502/2025-1896

पटना, दिनांक 29 सितम्बर, 2026

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, भोजपुर (आरा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

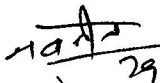

29.09.2026

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-01/स्था०क्षे०-502/2025-1896

पटना, दिनांक 29 सितम्बर, 2026

प्रतिलिपि:- सहायक निदेशक, ईख विकास, भोजपुर (आरा)/श्री दीपक कुमार पाण्डेय, उच्चवर्गीय लिपिक कार्यालय-सहायक निदेशक, ईख विकास, भोजपुर (आरा) सम्प्रति प्रतिनियुक्त गन्ना उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

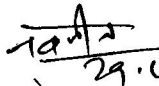

29.09.2026

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-01/स्था०क्षे०-502/2025-1896

पटना, दिनांक 29 सितम्बर, 2026

प्रतिलिपि:- आई० टी० प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


29.09.2026

सरकार के अवर सचिव।